केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,
दिल्ली -110032

सं.सी-27011/4/2018-हिन्दी/837 दिनांक 16.03.2018

कार्यालय ज्ञापन

यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक 06.03.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं.ई.11014/11/2017-रा.भा.(का.) और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के संकल्प सं.20012/0122017-रा.भा.(नीति) दिनांक 31.03.2017 के तहत संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश के खंड 9 में की गई 117 संस्तुतियों पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश से संबंधित है जिसके अनुसार **विज्ञापनों पर एक निश्चित प्रतिशत में धनराशि खर्च किए जाने के स्थान पर अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषा के साथ-साथ हिन्दी में भी विज्ञापन दिए जाने को अनिवार्य बनाया गया है।**

इस संबंध में, संस्तुति सं.88 मंत्रालयों/विभागों द्वारा विज्ञापन पर किए जाने वाले व्यय पर राष्ट्रपति जी के आदेश इस प्रकार हैं:

सं.	संस्तुति	राष्ट्रपति जी के आदेश
88	समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सभी मंत्रालयों/कार्यालयों को विज्ञापन की कुल राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत व्यय हिन्दी विज्ञापनों पर करना चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अक्टूबर,2007 से लागू नई विज्ञापन नीति में समिति की उक्त समिति की उक्त सिफारिश के अनुसार समुचित संशोधन किया जाना चाहिए।	संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन खंड-8 की सिफारिश सं.70 पर लिए गए आदेश को अधिक्रमित करते हुए खंड-9 की सिफारिश सं.48 एवं 88 पर की गई संस्तुतियां इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है की मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिये जाते हैं, उन्हें हिन्दी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।

उक्त के संबंध में सूचनीय है कि केंद्रीय बोर्ड, मुख्यालय के सभी प्रभारी एवं सभी क्षेत्रीय निदेशक अपने-अपने प्रभागों/विभागों/अनुभागों में विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में त्रिभाषी रूप का (जहां आवश्यक हो) अनुपालन निश्चित करें। साथ ही सभी जारी भाषाओं के विज्ञापन हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाएं जाए।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

16/03/18

(शीतल प्रसाद)
प्रशासन अधिकारी (राजभाषा)

वितरण:

1. सभी प्रभाग प्रभारी, मुख्यालय — कृपया इसे अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों में परिचालित करें।
2. के. प्र. नि. बो. के सभी क्षेत्रीय निदेशालय — कृपया इसे अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों में परिचालित करें।
3. प्रमुख, आई.टी. प्रभाग — कृपया इसे वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड के निजी सचिव
5. सदस्य सचिव के निजी सचिव
6. कार्यालय प्रति